न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 11/2021

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. उमेश कुमार पुत्र दौलत राम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 19 कमल सिनेमा के सामने, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर।	1. सुखजीत कौर पत्नी बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बाजीगर मौहल्ला रोड, महावीर कॉटन फैक्ट्री के पास केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—01.11.2021

उपस्थितः 1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री जसकरण गोदारा, अप्रार्थी संख्या 1

——निर्णय—— दिनांक : 21.11.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 1 यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 13/12 के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 1 यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 40/38 के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 1.012 हेक्टैयर नहरी तथा मुरब्बा नम्बर 48 की 0.886 हेक्टैयर कुल खाता का योग 1.898 हेक्टैयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 0.949 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के नाम की उक्त दो बीघा भूमि में जाने के लिए कोई भी स्वीकृत रास्ता मौका पर मौजूद नहीं है। प्रार्थी काश्त हेतु मुरब्बा नम्बर 29 के दक्षिण की ओर स्थित मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 ता 5 में पूर्व से पश्चिम चल रही पक्की सडक से वह अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा एंव कब्जा काश्त के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 21 में प्रवेश कर इसकी पश्चिमी मेड के साथ दक्षिण की ओर से चल कर उतर में स्थित अपने किला नम्बर 20 में प्रेवश कर अपनी भूमि में पंहुचता है, यही एक मात्र रास्ता प्रार्थी के पास उपलब्ध है, अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी वर्षो से इसी रास्ता का उपयोग कर रहा था। परन्तु कुछ अर्सा से अप्रार्थी, प्रार्थी को आवागमन पर ऐतराज करने लगी तथा कहा कि वह अपने खेत से प्रार्थी को नहीं जाने देगी। इस पर आज से 15 दिन पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर उसे उक्त रास्ता मंजूर करवा लेने के लिए निवेदन किया तो अप्रार्थी ने रास्ता स्वीकृत करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा ऐलानिया कहा कि वह प्रार्थी को अब किसी भी सूरत में अपने खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं देगी। यही वाद कारण है। रास्ता की एवज में प्रार्थी को उतनी ही भूमि [illegible] की कीमत अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षे[illegible] श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। [illegible] 251ए आरटीए पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी [illegible] 1 यू की जमाबन्दी 2075 ता 78 के खाता संख्या 40/38 के मुरब्बा नम्बर 2[illegible] किला नम्बर 21 में [illegible] मेड के साथ-साथ दक्षिण से उत्तर की ओर 2 बिस्वा रास्ता घोषित किया जाकर इस अमर का आदेश वास्ते रिकॉर्ड अमल दरामद तहसीलदार श्रीकरणपुर को भिजवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:13:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा, ईकबाल सिंह उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने-जाने के लिए अतिरिक्त विकल्प रेलवे को रास्ता है और आगे प्रार्थी के सगे सम्बन्धियों की आराजी है। जिसमें प्रार्थी अपनी आराजी में आना-जाना कर सकता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को तंग परेशान करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के रकबा के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 19,20 प्रत्येक 0.253 हेक्टैयर भूमि में आने-जाने के लिए पक्की सडक पूर्व में मौजूद है। जिससे प्रार्थी अपने रकबा में आता जाता है। जो कि किला नम्बर 12 में आती है। जो किला नम्बर 19 व 20 को केवल 30 फीट रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थी किला नम्बर 19 व 20 के लिए रास्ता मंजूर करवाने का अधिकारी नहीं है। अगर प्रार्थी का रास्ता मंजूर किया जाता है। तो अप्रार्थी की भूमि दो हिस्सों में बट जायेगी। जिससे अप्रार्थी को भारी नुकसान होगा। जिसकी भरपाई की जानी किसी भी रूप में सम्भव नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अपने पत्रांक 07 दिनांक 10.01.2022 के साथ मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक केसरीसिंहपुर, फर्द मौका मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका द्वारा चक 1 यू के मुरब्बा नम्बर 29 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया गया कि मौके पर अप्रार्थी सुखजीत कौर मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 21 पर काबिज काश्त है व रहने के लिए निवास भी बना रखा है। जो कि किला नम्बर 21 व 20 की सीमा रेखा से लगभग 15 फीट दूर बनाया हुआ है। साथ में पानी की डिग्गी भी बना रखी है। प्रार्थी द्वारा चक 1 यू के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 19 व 20 कुल 0.506 हेक्टैयर नहरी भूमि हेतु अप्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 21 में से 2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है, जो निकटतम व उपयुक्त है। उक्त भूमि को कही से भी रिकॉर्डड रास्ता नहीं है। वादी को रास्ते की आत्यातिंक आवश्यकता है। यह केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत एतराज पटवारी रिपोर्ट पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीकरणपुर से पुनः रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अपने पत्रांक 738 दिनांक 08.08.2022 के साथ मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक केसरीसिंहपुर, फर्द मौका मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पुनः रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में की गई रास्ता रिपोर्ट में चाहे गए रास्ते में कच्चा कमरा (गैराज) नहीं बना हुआ था। परन्तु वर्तमान में गैराज व पानी की टंकी बना दी गई है।

हमने विद्वान अधिवक्ता [illegible] बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, [illegible] प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट, फर्द मौका [illegible] उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक [illegible] भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका [illegible] राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी चक 1 यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 13/12 के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 21 से अपनी जोत मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 20 तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:13:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

पहुचने के लिए रास्ते की मांग की गई है। उक्त रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। यह प्रार्थी की आत्यतिंक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का स्वीकार करने योग्य है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 यू तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 21 की पश्चिमी मेड के साथ-साथ दक्षिण से उत्तर 1-1/2 बिस्वा यानि कुल 0.0190 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 0.0190 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थी सुखजीत कौर पत्नी बलदेव सिंह को 0.0190 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 20 में से अप्रार्थी को देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:13:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नः– 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2022/583
तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

दिनांक :-21.11.2022

विषयः- प्रकरण संख्या 11/2021 अनवान उमेश कुमार बनाम सुखजीत कौर आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 21.11.2022 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2022 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 यू तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 21 की पश्चिमी मेड के साथ-साथ दक्षिण से उतर 1-1/2 बिस्वा यानि कुल 0.0190 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 0.0190 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थी सुखजीत कौर पत्नी बलदेव सिंह को 0.0190 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 20 में से अप्रार्थी को देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:13:13 IST
Reason: SelfAttested